न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

संख्या प्रार्थना पत्र –76 / 2025

अनवान

श्रीमति गोपाल बाई पत्नी चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्द्र शेखर जाति शर्मा (ब्राहम्ण), उम्र बालिग, निवासी ग्राम लाडपुर, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा।

प्रतिवादी / विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 25.03.2026

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेकाश्त की कृषि आराजीयात ग्राम हलसेड़ा, प०ह० रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 कि खाता संख्या 31 खसरा संख्या 170, कुल किता 1 रकबा 1.3000 हैक्टर है, जो खाते मे सम्पूर्ण रूप से मुझ प्रार्थीया के खाते सा देह दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी पर मै प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हूँ। पैरा संख्या 01 में वर्णित उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन जमांबदी नकल मे मेरे पति का नाम चन्द्रप्रकाश लिखा हुआ है, जबकि मुझ प्रार्थीया के आधार कार्ड जिसके नम्बर 9931 2343 7107 मे व मेरे पति के आधार कार्ड जिसके नम्बर 7360 3925 6342 व अन्य दस्तावेज में मेरे पति का नाम चन्द्र शेखर लिखा हुआ है, जो कि मेरे पति का बचपन मे बोला जाने वाला नाम है, मेरे पति के घर परिवार वाले उनको घर मे चन्द्रप्रकाश ही कहकर पुकारते है, इसलिए मुझ प्रार्थीया द्वारा उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात को खरीदते समय मेरे पति का बचपन का व घर परिवार में पुकारे जाने वाले चन्द्रप्रकाश नाम लिखवा दिया गया था, उक्त दोनो नाम चन्द्रप्रकाश व चन्द्र शेखर मेरे पति के नाम है तथा मेरे पति को दोनो ही नामो से जाना व पहचाना जाता है। मुझ प्रार्थीया द्वारा उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात को खरीदते समय मेरे पति का बचपन का व घर परिवार मे पुकारे जाने वाले चन्द्रप्रकाश नाम लिखवा दिया गया था. इसलिए राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में मेरे पति का नाम चन्द्रप्रकाश नाम दर्ज हो गया, जबकि मेरे आधार कार्ड तथा मेरे पति के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजे में मेरे पति का नाम चन्द्र शेखर लिखा हुआ है, इसलिए मेरे पति के नाम कि इन्द्राज दुरूस्ती कर पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात मे मेरे पति का नाम चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्द्र शेखर किया जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीया के खाते दर्ज रिकॉर्ड कृषि आराजीयात ग्राम हलसेड़ा, प०ह० रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान मे स्थित जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 31 खसरा संख्या 170, कुल किता 1 रकबा 1.3000 हैक्टर मे मुझ प्रार्थीया के पति का नाम चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्द्र शेखर किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 18.03.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार वर्तमान जमाबंदी संवत 2076–79 के अनुसार प्रार्थीया श्रीमती गोपाल बाई के नाम ग्राम हलसेडा प0ह0 रेनखेडा की खाता संख्या 31 में कुल 1.30है0 भूमि दर्ज है। उक्त खाता में प्रार्थीया के पति का नाम ''चन्द्रप्रकाश'' दर्ज है। स्थानीय स्तर पर तथा परिवार एवं आस–पडोस में प्रार्थीया के पति को ''चन्द्रप्रकाश'' एवं ''चन्द्रशेखर'' दोनों नामों से जाना जाता रहा है। उपलब्ध दस्तावेजों जैसे–वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं जनाधार में प्रार्थीया के पति का नाम ''चन्द्रशेखर'' अंकित है। स्थानीय मौतमिरान/गवाहों द्वारा भी पुष्टि की गई है कि ''चन्द्रप्रकाश'' एवं ''चन्द्रशेखर'' एक ही व्यक्ति है। उपयुक्त तथ्यों, उपलब्ध राजस्व अभिलेखों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ''चन्द्रप्रकाश'' एवं ''चन्द्रशेखर'' नाम एक ही व्यक्ति के है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों एवं ग्राम पंचायत जालखेडा के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थीया के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थीया द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है ग्राम हलसेड़ा, प०ह० रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान मे स्थित जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 31 खसरा संख्या 170, कुल किता 1 रकबा 1.3000 हैक्टर भूमि मे प्रार्थीया के पति के बचपन का नाम चन्द्रप्रकाश है, जबकि प्रार्थीया का असल नाम चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्द्रशेखर होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का नाम चन्द्रप्रकाश के स्थान पर चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्द्रशेखर करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:–आदेश:–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम हलसेड़ा, प०ह० रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान मे स्थित जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 31 खसरा संख्या 170, कुल किता 1 रकबा 1.3000 हैक्टर भूमि में प्रार्थीया के पति का नाम चन्द्रप्रकाश के स्थान पर चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्द्रशेखर दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को सुनाया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़